

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3599/2026

Pawan S/o Shyopatram, Aged About 29 Years, R/o Doltawali,
Police Station Pillibanga, District Hanumangarh. (At Present
Lodged In Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Aashish Jakhar
For Respondent(s)	: Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Ravindra Singh Bhati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना—सूरतगढ़ जिला गंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**549/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में झूठा संबद्ध किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण में सहअभियुक्त सूर्यपाल से कुल अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट 2 किलो 9 ग्राम बरामद किया गया है। मुख्य अभियुक्त द्वारा पूछताछ से प्रार्थी/अभियुक्त के कहने पर उक्त डोडाचूरा लाना बताया गया है। पूछताछ नोट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में अन्य कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया। उनका कथन है कि मुख्य अभियुक्त द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के कहने पर उक्त डोडाचूरा लाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के संबंध में पूर्व में एक एन. डी.पी.एस. एक्ट में और अन्य प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत पंजीबद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगणों पर टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मुख्य अभियुक्त से बरामदगी दर्शित की गई है और मुख्य अभियुक्त की जमानत याचिका पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **पवन पुत्र श्योपतराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

1. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह के 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि

प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

2. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
3. इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J